

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
06 (क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों को भी जिनका विज्ञापन और चयन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पहले हुआ है, किन्तु दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के बाद कार्यभार ग्रहण कराया गया है को भी पुरानी पेंशन से आच्छादित करायेंगे?	जी नहीं। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) लागू है। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व तक जिन कार्मिकों द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है उन्हें पुरानी पेंशन अनुमन्य है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त के सम्बन्ध में कब तक राजाज्ञा जारी कराकर उक्त व्यवस्था को लागू करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।